रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 238] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2009/अग्रहायण 16, 1931
No. 238] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2009/AGRAHAYANA 16, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2009

सं. 1-54/08/एमएमपीओ/एफएसएसएआई.—केन्द्रीय सरकार ने, जनसाधारण के हित में वांछित गुणवत्ता के द्रव्य दुग्ध के प्रदाय को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद का उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण को विनियमित करने के लिए उपबंध करने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 किया है;

और संसद ने, खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों को अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारकरण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पुष्टिकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (उक्त अधिनियम) अधिनियमित किया है;

और उक्त अधिनियम की धारा–99 की उप–धारा (1) उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को उक्त अधिनियम के आधीन दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विनियम, 1992 समझा जाएगा और उसकी उप–धारा (2) उपबंध करती है कि खाद्य प्राधिकरण, उक्त अधिनियम के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उक्त विनियमों को संशोधित कर सकेगा;

और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना का.आ.संख्या 1575 (अ) के तहत 29 जून, 2009 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 99 के उपबंध प्रभावी हुए हैं।

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों को बनाया जाना

प्रस्तावित करता है और उसको दिनांक 24 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 181 के तहत उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित किया गया था और यह सूचना दी गई थी कि उक्त विनियमों पर उस तारीख से जिसको अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 1 अक्तूबर, 2009 को उपलब्ध कराई गई थीं।

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को जनता से उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था। अत : अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विनियम, 92 के उपबंधों में निम्नलिखित संशोधन करता है।

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "खाद्य सुरक्षा और मानक" (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) संशोधन विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के पैरा 1 के उप–पैरा (1) में "दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद विनियम" शब्दों व कोष्ठक के स्थान पर "खाद्य सुरक्षा और मानक (दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद) विनियम" शब्द और कोष्ठक रखें जाएंगे।

3. समस्त उक्त विनियम में, "केन्द्रीय सरकार" शब्द, जहां–जहां वे आते हैं "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" शब्द रखें जाएंगे।

4. उक्त विनिमय के पैरा 8 के उप–पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप–पैरा रखा जाएगा, अर्थातः–

"(2) किसी नए संयंत्र या विद्यमान संयंत्र की क्षमता के विस्तार या उसके उपांतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पक्ष में, नई दिल्ली में देय आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से केवल पांच हजार रूपए फीस लगी होगी या वह जिस समय–समय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जाए और आवेदक द्वारा यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण, विस्तार, अपील और अन्य किसी उपांतरण के लिए संदत्त फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।"

5. उक्त विनियम के पैरा 12 के उप–पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियंत्रक होगा और इस विनियम के आधीन नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।"

6. उक्त आदेश के पैरा 13 के उप–पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–पैरा रखा जाएगा, अर्थातः–

"(1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में केन्द्रीय या राज्य सरकार के उतने अधिकारी, जितने आवश्यक समझे जाएं, जो भारत सरकार में उप–सचिव की पंक्ति से नीचे न हों, नियुक्त या अभिहित कर सकेगा और उनकी संबंधित अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने, मौजूदा पंजीकरण प्रमाण–पत्र में आशोधन करने और उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद विनियम–92 के उपबंधों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में एतद्द्वारा निदेशक के रूप में पदनामित करता है।

वी. एन गौड़, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[विज्ञापन III/4/असा./187–ओ/09]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2009

No. 1-54/08-MMPO/FSSAI.—Whereas the Central Government with a view to maintaining and increasing the supply of liquid milk of the desired quality in interest of the general public and to provide for regulating the production, supply and distribution of milk and milk product, has made the Milk and Milk Product Order, 1992 in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ;

And whereas Parliament enacted the Food Safety and Standards Act, 2006 (the said Act) to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption;

And whereas sub – section (1) of section 99 of the said Act provides that on and from the date of commencement of the said Act, the Milk and Milk Product Order, 1992 shall be deemed to be the Milk and Milk Products Regulations, 1992 under the said Act and sub-section (2) thereof provides that the Food Authority may, with the previous approval of the Central Government and after previous publication, amend the said regulations to carry out the purposes of the said Act;

And whereas in exercise of powers conferred by sub section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government vide Gazette notification no. S.O. 1575 (E) has notified on 29th June, 2009, as the date on which the provisions of Section 99 of the said Act has come into force.

And whereas the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make the following regulations further to amend the Milk and Milk Products Regulations, 1992 and the same was published vide notification no. 181 dated the 24th September, 2009, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said Regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the notification was made available to the public.

AND WHEREAS the copies of the said notification were made available to the public on the 1st October, 2009.

AND WHEREAS no objection or suggestion was received from the public with in the specified period on the said Draft Regulations by the Food Safety and Standards Authority of India. Now, therefore, the Food Safety and Standards Authority of India makes the following amendment to the provisions of the Milk and Milk Products Regulations-92.

REGULATIONS

1. Short title and commencement:-

(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Milk and Milk Products) Amendment Regulations -2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Milk and Milk Product Regulations-1992 (hereinafter referred to as the said Regulations) in sub-paragraph (1) of paragraph 1, for the words "Milk and Milk Product Regulations", the words and brackets "the Food Safety and Standards (Milk and Milk Products) Regulations" shall be substituted.

3. Throughout the said Regulations, for the words "the Central Government", wherever they occur, the words "the Food Safety and Standards Authority of India" shall respectively be substituted.

4. In paragraph 8 of the said Regulations, for sub paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) Every application for registration for new plant or expansion of the capacity of the existing plant or modification there of shall be accompanied by a fee of Five thousand Rupees only, through Demand Draft, drawn in favour of the Senior Accounts Officer, Food Safety and Standards Authority of India payable at New Delhi, or as may be revised from time to time by the Food Safety and Standards Authority of India and the fee paid by the applicant for registration, expansion, appeal and any other modification, as the case may be shall not be refunded".

5. In paragraph 12 of the said Regulations, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-

"(1) The Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India shall be the Controller and shall exercise the powers and functions of the Controller under this Regulations".

6. In paragraph 13 of the said Regulations, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted , namely;-

"(1) The Food Safety and Standards Authority of India may, by notification in the Official Gazette, and after consultation with the Central Government or as the case may be the state Government, appoint or designate as many officers of the Central or State Government, not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India, as the Registering Authority, as it may consider necessary, and specify their respective jurisdiction".

The Food Safety and Standards Authority of India hereby designates the Director in the Food Safety and Standards Authority of India to discharge functions as the Central Registering Authority for enforcement and implementation of the provisions of the Milk and Milk products Regulations-92 for granting Registration Certificate, modification in the existing Registration Certificate and other matters relating thereto. The jurisdiction of the Director as the Registering Authority shall extend to the whole of India.

V. N. GAUR, Chief Executive Officer
[ADVT III/4/Exty./187-O/09]

4443 GI/09-2

Printed by the Manager, Govedrnment of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.